

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

प्रकरण संख्या 191/2017 D-N: 432

रामबुवार खाँसा
- प्राथी

बनाम उदा पिता दोगा सुनी
विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-24/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री ~~रामबुवार खाँसा~~ ने जरिये आराजीयात
श्री ~~राखेजाम शम्भू~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल
खाते की भूमि ग्राम ~~अचला जीवा~~ तह0 माण्डलगढ में आराजीयात

~~229, 230, 247, 248, 249, 250, 286, 287~~ कुल
किता 8 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिने विवादा
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराने
साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान आराजीयात
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 के अवलोकन से प्राथी आराजीयात
आराजीयात का खातेदार/संखातेदार काशतकार है। पडौसियान के विवाद कराने
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0कट स्वीकार किया
ग्राम ~~अचला जीवा~~ की आराजी न0 ~~229, 230, 247, 248, 249, 286, 287~~
रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा 12 की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी वि
क आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाते
कमीशनर फीस 450/रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एक
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसील
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

— निवेदन